

॥ कार्यालय आदेश ॥

का०आ०सं०-बी०/स्था०(विविध)-20-12/2013/41जे०, पटना, दिनांक-15.03.2013

रिट याचिका (क्रिमिनल) सं०-66-70/1992-विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक-13.08.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के संकल्प सं०-2058, दिनांक-17.04.2001 एवं अधिसूचना संख्या-2404, दिनांक-04.05.2001 के आलोक में विधि विभाग, बिहार, पटना में मुख्यालय स्तर पर निर्मांकित रूप से परिवार समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्रीमती अंजु सिन्हा, उच्च वर्गीय लिपिक, विधि विभाग - अध्यक्ष
2. श्रीमती उमा कुमारी, उच्च वर्गीय लिपिक, विधि विभाग - सदस्य
3. सुश्री मधु कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक, विधि विभाग - सदस्य
4. श्री विश्वजीत कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, विधि विभाग - सदस्य
5. श्री प्रेमजीत कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, विधि विभाग - सदस्य
6. समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित किसी अनुभवी स्वयं सेवी संस्था की महिला प्रतिनिधि अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना की महिला अधिवक्ता - सदस्य

2. उक्त समिति यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन के कारणों से उद्भूत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

3. उक्त समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन विधि सचिव को समर्पित करेगी।

4. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति की अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेगी।

5. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक/जे०

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, विधि विभाग, बिहार, पटना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निदेश सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प सं०-2058, दिनांक-17.04.2001 एवं अधिसूचना सं०-2404, दिनांक-04.05.2001 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक/जे०

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक निदेशक, महिला विकास निगम, द्वितीय तल्ला, इन्दिरा भवन, आर०सी० सिंह पथ, बेली रोड, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक/जे०

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- सभी पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कर्मचारी, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक/जे०

पटना, दिनांक 20.03.13

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश है कि अपने विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।